

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

## सहायक प्राध्यापक परीक्षा—2017

विज्ञप्ति क्रमांक 7407

इन्दौर, दिनांक 25/07/2018

### **अनिवार्य आवश्यक सूचना (केवल लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए आवेदकों के लिए)**

**वांछित जानकारी ऑनलाईन अपडेट करने की अंतिम तिथि — 28.07.2018**

सहायक प्राध्यापक परीक्षा—2017 के अंतर्गत विषयवार विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों का ऑनलाईन एजेंसी से प्राप्त डाटाबेस का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि आवेदकों द्वारा जो ऑनलाईन आवेदन पत्र सबमिट किये गये हैं उनमें निम्नांकित कारणों से जानकारी के सत्यापन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है—

- आवेदक द्वारा संबंधित विषय के विज्ञापित पद हेतु वांछित स्नातकौत्तर परीक्षा के प्रतिशत (विज्ञापन में उल्लेखित कंडिका दो (G) (V) (शुद्धिपत्र क. 01/12/2017 दि. 19.12.2017 अनुसार संशोधित) में वांछित अनुरूप नहीं होने) त्रुटिपूर्ण/विसंगतिपूर्ण एवं एक से अधिक बार भी अंकित किये गये हैं।
- अतिथि विद्वान के लिए देय वरीयता अंकों में भी वांछित गणना पत्रों को अपूर्ण, अपठनीय, अधिकृत अधोहस्ताक्षकर्ता के बिना हस्ताक्षरित एवं त्रुटिपूर्ण अंकित किया जाकर ऑनलाईन आवेदन पत्र सबमिट किया गया है, जिनमें अपलोड किये गये संबंधित दस्तावेज, अपूर्ण, अपठनीय हैं।

2/ उक्त परीक्षा के विज्ञापन के साथ जारी परिशिष्ट—3 में वर्णित कंडिका 1 (5 एवं 6), 5, 6, में स्पष्टतः उल्लेखित है कि आवेदक द्वारा भरा गया ऑनलाईन आवेदन पूर्णतः सही एवं त्रुटिरहित होना आवेदक के लिए बंधनकारी है। चूंकि विज्ञापन के परिशिष्ट—3 में वर्णित कंडिका 10 (2) का विलोपन होने के कारण ही आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों को ही सही मानते हुए बिना किसी अभिलेखों के परीक्षण/सूक्ष्म जांच के केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही चयन की कार्यवाही संपादित की जाना है। अतः लिखित परीक्षा के आधार पर चयन के लिए उक्त आवेदकों के द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित उक्त जानकारी त्रुटिरहित होना आवश्यक है जिससे कि त्रुटिरहित मेरिट सूची तैयार की जा सके जिसके आधार पर संपूर्ण चयन प्रक्रिया का निर्धारण होता है।

3/ अतिथि विद्वान आवेदकों द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में अतिथि विद्वान हेतु देय वरीयता अंक का उल्लेख एवं तत्संबंध में जो प्रपत्र सबमिट किये गये उनका उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्यापन किया गया है। जिन आवेदकों द्वारा अतिथि विद्वान के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में उक्तानुसार वांछित प्रक्रिया का पालन न करते हुए आवेदन पत्र सबमिट किया गया है ऐसे आवेदकों के अतिथि विद्वान को देय वरीयता अंकों का विभाग द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है तथा कारण सहित रिमार्क अंकित किया गया है।

4/ चूंकि उक्त परीक्षा का चयन परिणाम केवल लिखित परीक्षा + अतिथि विद्वान के देय वरीयता अंकों के योग के मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर तैयार किया जाना प्रावधानित है। साथ ही उक्त योग अंक समान होने की स्थिति में संबंधित वांछित विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा के प्रतिशत को अधिमान्यता दिये जाने का प्रावधान है।

5/ अतः आवेदकों को निम्नांकित त्रुटियों के सुधार के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है—

- आवेदक अपने स्नातकोत्तर परीक्षा के प्रतिशत अंकों को स्वयं द्वारा सत्यापन किये जाने का अवसर
- त्रुटिपूर्ण स्नातकोत्तर के प्रतिशत को अद्यतन करने का अवसर
- Grade/CGPA प्रणाली से स्नातकोत्तर वाले अभ्यर्थी जो अपने प्राप्तांकों को प्रतिशत में कन्वर्ट करना
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रिमार्क किये गये ऐसे अतिथि विद्वान आवेदकों को उनकी परिलक्षित कमियों को विभाग की टीप का अवलोकन कराते हुए पुनः तत्संबंध में वांछित अभिलेख ऑनलाईन सबमिट करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

6/ अतः आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वह आयोग की बेकसाईट पर वांछित आप्शन में लॉगिन कर अपनी प्रविष्टियों का स्वयं पुनः मूल्यांकन करे तथा अपने अभिलेखों से सत्यापन कर लेवें। यदि किसी आवेदक के स्नातकोत्तर के अंक सही अंकित हैं तो पुनः अपने अंकित किये गये अंकों की पुष्टि वांछित बटन पर क्लिक कर सबमिट करें।

7/ जिन आवेदकों द्वारा नियत समय—सीमा में आयोग द्वारा चाही गई वांछित जानकारी अद्यतन/पुनः पुष्टि नहीं की जावेगी अथवा पुनः दिये गये अवसर में भी भ्रामक /त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण जानकारी की प्रविष्टि की जावेगी तो ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी तथा इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।



सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग,  
इन्दौर म0प्र0

